

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 8 (1) (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल की अधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में उनके सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद्वारा सदस्य मनोनीत करती है-

क्र.स.	नगर विकास का भाग	व्यक्ति का नाम
1.	अलवर	1. श्री ओम प्रकाश सोमवरी 2. श्री गिर्राज सेनी पुत्र श्री लक्ष्मण सेनी 3. श्रीमती लक्ष्मी कंवर पुत्र गणेश 4. श्री हेतराम यादव 5. श्री नरेन्द्र शर्मा, मूर्तिकार
2.	तिजारा	1. श्रीमती अमृता जैन पत्नी श्री अंकुश जैन 2. श्री जीवन प्रकाश सोनी पुत्र श्री कलाश 3. श्री प्रेम चन्द यादव पुत्र श्री रामचन्द्र यादव 4. श्री बलवन्त सिंह यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह
3.	खेडली	1. श्री राजेश लोहिया 2. श्री कपिल अग्रवाल 3. श्री अशोक खूटेटा 4. श्री राजेन्द्र जाटव
4.	किशनगढ़बास	1. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद 2. श्री विश्वास यादव पुत्र श्री कमल यादव 3. श्रीमती मिनाक्षी सोनी पत्नी श्री मुकेश सोनी 4. श्री रमेश मिश्रा पुत्र श्री नवनाथ मिश्रा
5.	खैरथल	1. श्री सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री बनवारी लाल 2. श्री विनोद कुमार बल्लेष्वा पुत्र नैठाराम 3. श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री रामकिशोर 4. श्री किशनचन्द पुत्र हाँवुलाल
6.	राजगढ़	1. श्री अशोक बजाज 2. श्री लोकेश रावत 3. श्रीमती नीरज शर्मा 4. श्री महेश गोयल (बास्मिजी)
7.	बहरोड	1. श्री शिवधरण पुत्र श्री बनवारी लाल 2. श्री मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री रामप्रसाद 3. श्री कपिल वैद्य पुत्र श्री भीम देव वैद्य 4. श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री जगन लाल शर्मा
8.	बांसवाडा	1. श्री रमेश तेली पुत्र श्री गणपत लाल 2. श्री मयंक जैन पुत्र श्री जितेन्द्र जैन 3. श्री योगेश जोशी पुत्र श्री प्रेमकान्त 4. श्री रमाना राणा पुत्र श्री नटवर राणा
9.	सुझनू	1. श्री विजय कुमार सेनी पुत्र श्री रामचन्द्र सेनी 2. श्री सम्मत सिंह रावत पुत्र श्री बालू सिंह 3. श्री रामु देयाल नेहरा(खटीक) पुत्र श्री भावर मल 4. श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री शिवलाल सिंह 5. श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री गणेश लाल शर्मा
10.	पिन्नावाडा	1. श्री भदोत सुगार पुत्र श्री चरमचाम घाँची 2. श्री हिम्मत प्रजापत 3. श्री सुपाराम हिरागर 4. श्री भूपेन्द्र जैन
11.	आरू पर्वत	1. श्री हेमराज माली 2. श्री जगदीश चन्द डांड 3. श्री दाम सिंह परमार 4. श्री देवीलाल बामणीया
12.	टोक	1. श्री रमेश गडवाल 2. श्री सुभाष वामुनिया 3. श्री राजेन्द्र पराणा 4. श्री छीतर जी महावर 5. श्री अशोक कासलीवाल
13.	जोधपुर शहर	1. श्री पुखराज जांगिठ 2. श्री महेश सरगट 3. श्री जितेन्द्र दवे

		4. श्री कं एल सोनी 5. श्री फता राम गुर्जर 6. श्री हीरालाल सैग
14.	राजसमन्द	1. श्री शैल लाल कच्छार 2. श्री विहारी लाल तैली 3. श्री चुन्नी लाल कुमावत 4. श्रीमती लीला ठाकुर
15.	बाड़मेर	1. श्री अशोक दत्त पुत्र पार्षद 2. श्री अशोक आचार्य 3. श्री अचलाराम धापल
16.	बालोतरा	1. श्री बालाराम मूड
17.	सादुलराहर	1. श्री बदीविशाल शर्मा 2. श्री मनोज मोदी 3. श्री जसपाल सिंह 4. श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री देवीदत्त
18.	करणपुर	1. श्री पवन पुत्र श्री ओम प्रकार 2. श्री जयमंगल पुत्र श्री रोही राम 3. श्री पवन कुमार पुत्र श्री सरदूलाराम 4. श्री नुरील कुमार पुत्र श्री धनरामदास
19.	पदमपुर	1. श्री गुरतेज सिंह पुत्र श्री भेज सिंह 2. श्री पवन गुम्बर पुत्र श्री खैरती लाल 3. श्री प्रशान्त शर्मा पुत्र श्री जनकराज शर्मा 4. श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवान दास
20.	गजसिंहपुर	1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री राजाराम 2. श्री हितेश कुमार पुत्र श्री जगदीश लाल 3. श्री मधु निगलानी पुत्र श्री हरजीत पाल 4. श्री प्रदीप बोधरा पुत्र श्री सुरजनल बोधरा
21.	केसरीसिंहपुर	1. श्री मदन लाल तायल पुत्र श्री साधुराम अग्रवाल 2. श्री रविन्द कुकड पुत्र श्री इन्दजीत 3. श्री सतनाम दास पुत्र श्री येनाराम बाजीगर 4. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल
22.	प्रतापगढ	1. श्रीमती ललीता मीणा, पिपलखुट 2. श्री शैल लाल मीणा धरियावद 3. श्री आशीष जैन अरनोद 4. श्री नाथुलाल मीणा छोटीत्तारडी 5. श्रीमती सम्पतदेवी मेघवाल प्रतापगढ

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

निदेशक,
स्थानीय विधि, राजस्थान सरकार

(सचिता विभाग)
निदेशक एवं विधि सचिव
दिनांक: 26/4/16

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/18/453-524

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. संबंधित जिला कलक्टर,
06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारी।
07. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशार्थ।
08. निदेशक, स्थानीय विधि अर्कक्षण विभाग राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
10. सम्बंधित आयुक्त/अधिसाथी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....को भेजकर निर्दिष्ट किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करें।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रायली।

(के.एन. पंढरीली)
सहायक विधि परामर्शी